[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–21 एच०एल०ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) धारा 2(ii), 2(iii) से 5 तथा 7 से 15 के उपबन्ध ऐसी तिथि से लागू होंगे, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ के लिए विभिन्न तिथियां नियत कर सकती है।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 में,— 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड 61 में, ''धारा 9 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन'' शब्दों, अंकों, चिह्नों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 5 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन" शब्द, अंक, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा अप्रैल, 2025 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) खण्ड (69) के उप–खण्ड (ग) में,—

(क) "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

'व्याख्या.— इस उपखण्ड के प्रयोजनों हेतु—

(क) ''स्थानीय निधि'' से अभिप्राय है, किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में नागरिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित

स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि और जिसमें विधि द्वारा किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की शक्तियाँ भी निहित हों;

(ख) ''नगरपालिका निधि" से अभिप्राय है, किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में नागरिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि और जिसमें विधि द्वारा किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की शक्तियाँ भी निहित हों;';

(iii) खंड (116) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(116क) ''विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से अभिप्राय है, धारा 148क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन और इसमें डिजिटल मोहर, डिजिटल चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्न भी शामिल है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो;'।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 12 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 17 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) में,–

(i) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर, "संयंत्र और मशीनरी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) विद्यमान व्याख्या को उसकी व्याख्या 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार संख्यांकित व्याख्या 1 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

''व्याख्या 2.– खण्ड (घ) के प्रयोजनों हेतु, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी

निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयत्र या मशीनरी" के किसी सन्दर्भ का अर्थ ''संयंत्र और मशीनरी'' के सन्दर्भ के रूप में लगाया जाएगा और सदैव इसी रूप में लगाया गया समझा जाएगा।'।

6. मूल अधिनियम की धारा 20 में,– 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 20 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक, कोष्ठक और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा अप्रैल, 2025 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक, कोष्ठक और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा अप्रैल, 2025 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 34 का संशोधन।

''परन्तु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि–

(i) जहां ऐसा प्राप्तिकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां ऐसे किसी जमापत्र से सम्बन्धित इनपुट कर प्रत्यय, जो उपभोग किया जा चुका है, प्राप्तिकर्ता द्वारा रिवर्स नहीं किया गया है; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया है।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 38 में,– 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 38 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में ''स्वतः जनित विवरण'' शब्दों के स्थान पर, ''कोई विवरण'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,–

(क) ''के अधीन स्वतः जनित विवरण'' शब्दों के स्थान पर, ''में निर्दिष्ट विवरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, ''तथा'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (ख) में,–

(i) ''धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के कारण'' शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, ''जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के कारण भी सम्मिलित हैं'' शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) अंत में विद्यमान चिह्न ''।'' के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 107 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न कर दिया गया हो ।''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 112 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में,–

(i) अंत में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(i) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न कर दिया गया हो।''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 122ख का रखा जाना।

12. मूल अधिनियम की धारा 122क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''122ख. ट्रैक तथा ट्रेस प्रणाली की अनुपालना करने में असफलता के लिए शास्ति.– इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की

उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, उक्त धारा के उपबंधों की उल्लंघना में कार्य करता है, तो वह, अध्याय XV या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपए या ऐसे माल पर भुगतान योग्य कर के दस प्रतिशत के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, की शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 148 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 148क का रखा जाना।

"148क. कतिपय माल के लिए ट्रैक तथा ट्रेस प्रणाली.— (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसे मालों को विनिर्दिष्ट कर सकती है;

(ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो ऐसे मालों को रखते हैं या उनका कारबार करते हैं,

जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए किसी प्रणाली की व्यवस्था कर सकती है; तथा

(ख) ऐसे मालों के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी शामिल हो ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति,—

(क) उक्त मालों या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएंगे;

(ख) ऐसे समय के भीतर ऐसी सूचना और ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे और ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसे अभिलेख या दस्तावेज बनाए रखेंगे, जो विहित की जाए;

(ग) ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे मालों के विनिर्माण के कारबार के स्थान में स्थापित मशीनरी के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है; तथा

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी राशि का भुगतान करेंगे, जो विहित की जाएं।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची III का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की अनुसूची III के पैरा 8 में,–

(i) खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

''(कक) निर्यात हेतु निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए मालों का प्रदाय;'';

(ii) व्याख्या 2 में, "प्रयोजनों के लिए" शब्दों से पूर्व, "खंड (क) के" शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर रखे जाएंगे तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे;

(iii) व्याख्या 2 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:–

"व्याख्या 3.– पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों हेतु, ''विशेष आर्थिक जोन'' ''मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र'' तथा "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 28) की धारा 2 में दिए गए हैं।"।

संगृहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं।

15. ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि इस संशोधनकारी अधिनियम की धारा 14 सभी तात्विक समय पर लागू हुई होती।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात् :—

(i) ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 2 में नए खंड (116क) का रखा जाना ताकि ''विशिष्ट पहचान चिह्नांकन'' अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जा सके, जिसका अभिप्राय ऐसे चिह्न से है जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो।

(ii) अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (5) के खंड (घ) में संशोधन करना ताकि "संयंत्र या मशीनरी" अभिव्यक्ति के स्थान पर "संयंत्र और मशीनरी" अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जा सके, जिससे ऐसे मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए समझने में किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके।

(iii) रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट के संबंध में, यदि उसका लाभ उठाया गया हो, तो प्रदायकर्ता के उक्त क्रेडिट नोट के संबंध में कर दायित्व को कम करने के प्रयोजनार्थ, तत्संबंधी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (2) के परंतुक का संशोधन किया जाना।

(iv) ऐसे आदेश जिसमें कर की कोई मांग शामिल किए बिना जुर्माना की मांग शामिल हो के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए जुर्माना राशि का दस प्रतिशत पूर्व जमा करने की आवश्यकता का प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (6) के परन्तुक का प्रतिस्थापित किया जाना।

(v) ट्रैक और ट्रेस तंत्र से संबंधित प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान करने हेतु अधिनियम में एक नई धारा 122ख का रखा जाना।

(vi) अधिनियम में एक नई धारा 148क का रखा जाना जिससे निर्दिष्ट मालों के प्रदाय की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्रावधान किया जा सके।

(vii) अधिनियम की अनुसूची III के पैराग्राफ 8 में नए खंड (कक) का जोड़ा जाना जिससे यह निर्दिष्ट किया जा सके कि निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में रखे गए माल के प्रदाय को न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : राजीव प्रसाद,
दिनांक : 21 अगस्त, 2025 सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 21 अगस्त, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं हैं।

([illegible])
[illegible], [illegible]

अनुबंध

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 से उद्धरण
(2017 का 19)

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

*　*　*　*　*

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या के निमित्त इनपुट सेवाओं, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक भी सम्मिलित हैं, की प्राप्ति के मद्दे कर बीजकों को प्राप्त करता है, और धारा 20 में उपबन्धित रीति में ऐसे बीजकों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करने के लिए दायी है;"।

(69) (क) *　*　*　*　*

(ख) *　*　*　*　*

(ग) कोई नगरपालिका समिति, कोई जिला परिषद्, कोई जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का कानूनी रूप से हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है।

(116) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से अभिप्राय है, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14);

माल के प्रदाय का समय। 12 (1) *　*　*　*　*

(2) *　*　*　*　*

(3) *　*　*　*　*

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में, प्रदाय का समय–

(क) वाऊचर जारी करने की तिथि होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचानयोग्य है; या

(ख) सभी अन्य मामलों में, वाऊचर के मोचन की तिथि होगा।

सेवाओं के प्रदाय का समय। 13 (1) *　*　*　*　*

(2) *　*　*　*　*

(3) *　*　*　*　*

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में, प्रदाय का समय–

(क) वाऊचर जारी करने की तिथि होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचानयोग्य है ; या

(ख) सभी अन्य मामलों में, वाऊचर के मोचन की तिथि होगा।

17. (1) * * * * * प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्यय का प्रभाजन।

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(क) * * * *

(ख) * * * *

(ग) * * * *

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपने खाते में, किसी अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।

व्याख्या.— खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए, ''सन्निर्माण'' अभिव्यक्ति के अंतर्गत उक्त अचल संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक, पुनः सन्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;

20. (1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के किसी कार्यालय, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या के निमित्त इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक भी सम्मिलित हैं, से धारा 24 के खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करेगा। इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति।

(2) इनपुट सेवा वितरक ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बन्धन तथा शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन उसके द्वारा प्राप्त किए गए बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर के प्रत्यय का वितरण करेगा, जिसमें उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में राज्य में पंजीकृत किसी सुभिन्न व्यक्ति द्वारा धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के उद्ग्रहण के अध्यधीन सेवाओं के सम्बन्ध में भुगतान किया गया राज्य कर या एकीकृत कर का प्रत्यय भी शामिल है।

जमा और नामे पत्र।

34. (1) * * * * *

(2) * * * * *

परंतु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि ऐसे प्रदाय पर कर और ब्याज़ का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है।

आवक प्रदायों तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना।

38. (1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों तथा ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन ऐसे प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण में निम्नलिखित शामिल होगा–

(क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध हो सके; तथा

(ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा, धारा 37 की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के कारण, चाहे पूर्णतः या भागतः निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,–

(i) * * * *

(ii) * * * *

(iii) * * * *

(iv) * * * *

(v) * * * *

(vi) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।''।

विवरणियां देना।

39. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या 51 या 52 के उपबंधों के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, भुगतानयोग्य कर, भुगतान किया गया कर और ऐसे अन्य ब्यौरे ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु * * * * * *

107. (1) * * * * * * * अपील प्राधिकारी को अपीलें।

(2) * * * * * * *

(3) * * * * * * *

(4) * * * * * * *

(5) * * * * * * *

(6) * * * * * * *

परन्तु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न कर दिया गया हो।

112 (1) * * * * * * * अपील अधिकरण को अपील।

(2) * * * * * * *

(3) * * * * * * *

(4) * * * * * * *

(5) * * * * * * *

(6) * * * * * * *

(7) * * * * * * *

(8) कोई भी अपील उपधारा (1) के अधीन तब तक दायर नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित का भुगतान नहीं करता है,–

(क) पूर्ण कर, ब्याज, जुर्माना, फीस की राशि के ऐसे भाग और अधिरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति, जो उसके द्वारा स्वीकार की गई हो, और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त, अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यधीन उक्त आदेश से उद्भुत विवाद में कर की शेष राशि के बीस प्रतिशत के बराबर धनराशि जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

122 क. * * * * * * * विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति।

कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति।

148. * * * * * * *

अनुसूची III

(देखिए धारा 7)

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

(1) * * * * * * *

(2) * * * * * * *

(3) * * * * * * *

(4) * * * * * * *

(5) * * * * * * *

(6) * * * * * * *

(7) * * * * * * *

(8) * * * * * * *

(क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागारित माल का प्रदाय।

(ख) * * * * *

व्याख्या 1.– * * * * *

व्याख्या 2.– पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, ''भांडागारित माल'' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) में दिया गया है।